

आदेश ब इजलासा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 820/2022 (धारा 14 सिक्योरिटीआईजेसन)

महिन्दा रुरल हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, शादना हाउस, द्वितीय फ्लोर, 670, पी.बी. मार्ग, चली मुम्बई।
ऑफिस पता महिन्दा टॉवर्स, पी.के. कुर्ने चौके, चली मुम्बई, शाखा कार्यालय पता पहली मंजिल, दीपक
प्लाजा, 7 ए/2, संजय नगर-ए, जोशी मार्ग के पास, मैक्स अस्पताल के सामने, मुख्य कालवाड रोड,
झोटवाडा, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री प्रहलाद सहाय भीणा पुत्र श्री बोदूराम भीणा
पता :- वार्ड संख्या 12, माजीपुरा, मुख्य ग्राम जगतपुरा, जयपुर।
एवं पट्टा संख्या 13, संकल्प संख्या 2 (12) ग्राम माजीपुरा, ग्राम पंचायत जगतपुरा, पंचायत समिति
शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री प्रहलाद सहाय भीणा
वार्ड संख्या 12, माजीपुरा, जगतपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The Application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री लोकेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।


आदेश

दिनांक 21.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
20.03.2018 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रहलाद पुत्र श्री बोदुराम
भीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति आबादी भूखण्ड पट्टा संख्या 13, संकल्प संख्या 2 (12) दिनांकित
24.04.2017 ग्राम माजीपुरा, ग्राम पंचायत जगतपुरा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल
186.00 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 08,75,713.53/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध
कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर
अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस
जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर
प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने
पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का
अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 के क्रम संख्या 17 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 08,75,713.53/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 09,85,710/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री प्रहलाद पुत्र श्री बोदुराम मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति आबादी भूखण्ड पट्टा संख्या 13, संकल्प संख्या 2 (12) दिनांकित 24.04.2017 ग्राम माजीपुरा, ग्राम पंचायत जगतपुरा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 186.00 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



7. आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

210
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर